संख्या-5-2025-डीएफए-1045937-005-38-7002-002-2-2024

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20-03-2025

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक मद में द्वितीय भाग की तृतीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-672/मनरेगा/पत्रासं0-281/लेखा/आवंटन/2024-25, दिनांक 11-03-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार के

http://shasanadesh.up.gov.in

दिशा-निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-14037/01/2025-आरई-।(387669) (एसआई.नं0-100), दिनांक 11-03-2025 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में द्वितीय भाग की तृतीय किश्त की धनराशि केन्द्रांश रूपये रू0 144,97,89,000/-(रूपये एक अरब चौवालिस करोड़ सत्तानबे लाख नवासी हजार मात्र) अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक-4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास के उपशीर्ष 02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय(के.100%/रा.00%-के)-42 अन्य व्यय में अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 11-03-2025 द्वारा प्रशासनिक मद में अवमुक्त धनराशि रू0 144,97,89,000/-(रूपये एक अरब चौवालिस करोड़ सत्तानबे लाख नवासी हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी

http://shasanadesh.up.gov.in

स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(4) स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(5) धनराशि के आहरण व व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19 जून 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 11-03-2025 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(11) वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 144,97,89,000/-(रूपये एक अरब चौवालिस करोड़ सत्तानबे लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 के लेखा शीर्षक-4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास

http://shasanadesh.up.gov.in

के उपशीर्ष 02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय(के.100%/रा.00%-के)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या- 5-2024-डीएफए-1045937-005-38-7002-002-2-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सुश्री सुमन मजूमदार, उप सचिव(मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय,उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in